

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द छ.ग.

क्रमांक./ 5504 /स्था. 02./पदावनत/2025-2026
//आदेश//

महासमुन्द, दिनांक 26/09/2025

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार मे प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 05 मार्च 2019 की अधिसूचना अनुसार सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जिस हेतु जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से उनके विकासखण्ड में कार्यरत सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची प्राप्त कर उसे जिला स्तर पर संकलित कर जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना है।

2/ तदानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02/वरि.सूची/2022 महासमुन्द दिनांक 30.09.2022 के द्वारा सहायक शिक्षक ई एवं एल.बी. की वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समिति बनाई गई थी, तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, कि अपने विकासखण्ड के संबंधित सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सूक्ष्म सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाणित एवं सत्यापित सूची सौपेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित समिति द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची अद्यतन कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतिम सूची प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया था, तथा इसके पश्चात् भी दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण कर जिला कार्यालय में सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था।

मूलभूत नियम के नियम 15(1) के अनुसार श्री नारायण सिदार का सहायक शिक्षक पं. के पद पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदाबाजार के नियुक्ति आदेश क्र/1288/पं.शि.वर्ग.03/नियु/2007 बलौदाबाजार, दिनांक 30.08.2007 के तहत शासकीय प्राथमिक शाला जुड़ा, विकासखण्ड बलौदाबाजार में हुआ, एवं दिनांक 12.09.2007 को कार्यभार ग्रहण किया।

श्री नारायण सिदार का स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के आदेश क्र./7029/शिक्षा/स्था./स्थानां./2011-12/रायपुर दिनांक 21.08.2012 के अनुसार आपसी स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा के विकल्प पर विकासखण्ड पिथौरा में हुआ, श्री नारायण सिदार ने दिनांक 12.09.2012 को शा.प्राथ शाला बिजराभाटा, वि.ख.पिथौरा में कार्यभार ग्रहण किया है। इस संबंध में वरिष्ठता निर्धारण बाबत शासन के नियम /निर्देश निम्नानुसार है।

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./22/पंग्राविवि/2023 /947 दिनांक 11.12.2013 की कंडिका 05 अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) का पद जनपद पंचायत का संवर्ग का पद है, तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) की वरिष्ठता स्वैच्छिक स्थानांतरण के मामलों में नवीन विकास खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य की गई है। इन नियमों की जानकारी सभी सहायक शिक्षक (पंचायत) को पहले से ही है। इसके बाद भी उनके द्वारा अपने निधि सुविधा को ध्यान में रखकर तथा पुराने विकासखण्ड की अपनी वरिष्ठता को खोकर नवीन विकासखण्ड में स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त किया गया है। अतः ऐसे सहायक शिक्षक (पंचायत) के मामलों में नवीन विकासखण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जावेगी, तथा उस तिथि में वे क्रमानुसार कनिष्ठ होंगे के लिये निर्देश प्रसारित किये गये हैं।
2. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर संविलियन निर्देश क्रमांक 05 पत्र क्र एफ /12.03.2018 /20-दो /2018 दिनांक 06.07.2018 की कंडिका 09 अनुसार शिक्षक (पं/न.नि.) संवर्ग के व्यक्ति जो स्थानांतरण के फलस्वरूप अपने पद के लिये निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र पर स्वैच्छिक स्थानांतरण से पदांकित है। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरित निकाय में कार्यभार ग्रहण दिनांक से किये जाने के निर्देश है।

60

इस कार्यालय द्वारा सहायक शिक्षक से शासकीय प्राथमिक शाला बिजराभाठा, प्रधान पाठक में पदोन्नति हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति प्रस्ताव मंगया गया, जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा का प्रस्ताव के अनुसार श्री नारायण सिदार, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला बिजराभाठा विकासखण्ड पिथौरा का सहायक शिक्षक पं./न.नि का वरिष्ठता 12.09.2007 दिया गया है। उक्त पदोन्नति के संबंध में दावा आपत्ति मंगया गया, जिसमें भी संबंधित का किसी प्रकार का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा-आपत्ति उल्लेख नहीं किया गया था।

तत्संबंध में श्री नारायण सिदार का सहायक शिक्षक पं./न.नि. के पद पर वरिष्ठता दिनांक 12.09.2007 दिया गया, एवं उक्त सहायक शिक्षक का वरिष्ठता 12.09.2012 होना था, जिसे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव वरिष्ठता दिनांक 12.09.2007 दिये जाने के कारण संबंधित शिक्षक का सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत किया गया है।


उक्त पदोन्नति के संबंध में शिकायतकर्ता श्री तुलसीराम पटेल एवं श्री महेन्द्र नाग द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर में शिकायत की गई है, शिकायत की जांच संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 04 सदस्यीय जांच समिति द्वारा कराई गई, जिसमें श्री नारायण सिदार को पदोन्नति के दायरे से बाहर माना गया है, तथा अग्रिम कार्यवाही करने कार्यालयीन पत्र क्र./स्था03/विधि/प्र0पा0प्र0शा0/2025/1332 रायपुर, दिनांक 16.04.2025 के द्वारा "इस कार्यालय से की गई पदोन्नति का परीक्षण कर तथा व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पदोन्नति के परिपेक्ष्य में कोई ठोस तथ्य एवं प्रमाण प्राप्त नहीं होने पर पदावनत आदेश जारी करेंगे" संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देश के पालन इस कार्यालय के आदेश क्र./5029/स्था02/जांच/2025 महासमुन्द, दिनांक 10.09.2025 के द्वारा 05 सदस्यीय जांच समिति बनाकर श्री नारायण सिदार के प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें श्री नारायण सिदार का आपसी स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के आदेश क्र./7029/शिक्षा/स्था./स्थानां./2011-12/रायपुर दिनांक 21.08.2012 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा के विकल्प पर विकासखण्ड पिथौरा में होने के कारण पूर्व निर्धारित वरिष्ठता दिनांक 12.09.2007 के स्थान पर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण दिनांक 12.09.2012 होना पाया गया। जिसके कारण प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्त जांच परिणाम के आधार पर श्री नारायण सिदार को पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुये कार्यालयीन पत्र पृष्ठांकित क्र. 5030 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा लिखित सूचना देकर व्यक्तिशः सुनवाई के लिये दिनांक 17.09.2025 को समक्ष में बुलाया गया, तथा दिनांक 17.09.2025 को मौखिक सुनवाई उपरांत पूर्व में दिनांक 28.04.2025 को दिये गये जवाब को मान्य करने हेतु निवेदन किया गया। जिसमें श्री नारायण सिदार के द्वारा दिये गये जवाब संतोषकारक नहीं होने के कारण आपको प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री नारायण सिदार का सहायक शिक्षक की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के अंतिम वरिष्ठता क्रम से नीचे क्रम में आ जाने के कारण कार्यालयीन पदोन्नति आदेश क्रमांक 4659 दिनांक 14.10.2022 के तहत सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(विजय कुमार लहरे)
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

1. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर पेशन बाड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कुदारीदादर/बिजराभाठा, विकासखण्ड पिथौरा में सूचनार्थ।
9. श्री नारायण सिदार को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने उपस्थिति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के पूर्व कार्यरत शाला शा. प्राथ.शाला बिजराभाठा वि.ख.पिथौरा में देना सुनिश्चित करें।

6/26/25
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द छ.ग.

क्रमांक./ 5502 /स्था. 02./पदावनत/2025-2026

महासमुन्द, दिनांक 26/09/2025

//आदेश//

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार मे प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 05 मार्च 2019 की अधिसूचना अनुसार सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जिस हेतु जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से उनके विकासखण्ड में कार्यरत सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची प्राप्त कर उसे जिला स्तर पर संकलित कर जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना है।

2/ तदानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02/वरि.सूची/2022 महासमुन्द दिनांक 30.09.2022 के द्वारा सहायक शिक्षक ई एवं एल.बी. की वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समिति बनाई गई थी, तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने विकासखण्ड के संबंधित सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सूक्ष्म सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाणित एवं सत्यापित सूची सौपेगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित समिति द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची अद्यतन कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतिम सूची प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा इसके पश्चात् भी दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण कर जिला कार्यालय में सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था।

मूलभूत नियम के नियम 15(1) के अनुसार श्री जयलाल भोई का सहायक शिक्षक पं. के पद पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदाबाजार जिला रायपुर के नियुक्ति आदेश क्र/489/.शिक.वर्ग.03/नियु/2006 बलौदाबाजार दिनांक 29.05.2006 के तहत शासकीय प्राथमिक शाला चितावर में हुआ एवं दिनांक 16.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

श्री जयलाल भोई का स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के आदेश क्र./7029/शिक्षा/स्था.1/स्थाना./2011-12/रायपुर दिनांक 21.08.2012 के अनुसार आपसी स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना जिला महासमुन्द में हुआ, श्री भोई दिनांक 09.10.2012 को शा.प्राथ शाला बिरेनडबरी में कार्यभार ग्रहण किया गया है।

इस संबंध में वरिष्ठता निर्धारण बाबत शासन के नियम /निर्देश निम्नानुसार है।

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./22/पंग्राविवि/2023/947 दिनांक 11.12.2013 की कंडिका 05 अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) का पद जनपद पंचायत संवर्ग का पद है तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) की वरिष्ठता स्वैच्छिक स्थानांतरण के मामलों में नवीन विकास खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य की गई है। इन नियमों की जानकारी सभी सहायक शिक्षक (पंचायत) को पहले से ही है। श्री जयलाल भोई द्वारा अपने सुविधा को ध्यान में रखकर तथा पुराने विकासखण्ड की अपनी वरिष्ठता को खोकर नवीन विकासखण्ड में स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त किया गया है। अतः ऐसे सहायक शिक्षक (पंचायत) के मामलों में नवीन विकासखण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जावेगी, तथा उस तिथि में वे क्रमानुसार कनिष्ठ होंगे के लिये निर्देश प्रसारित किये गये है।

2. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर संविलियन निर्देश क्रमांक 05 पत्र क्र एफ /12.03.2018 /20-दो /2018 दिनांक 06.07.2018 की कंडिका 09 अनुसार शिक्षक (पं/न.नि.) संवर्ग के व्यक्ति जो स्थानांतरण के फलस्वरूप अपने पद के लिये निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र पर स्वैच्छिक स्थानांतरण से पदांकित है। उनकी

kp

वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरित निकाय में कार्यभार ग्रहण दिनांक से किये जाने के निर्देश है।

इस कार्यालय द्वारा सहायक शिक्षक से शासकीय प्राथमिक शाला विश्वासपुर प्रधान पाठक में पदोन्नति हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति प्रस्ताव मंगाया गया जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा का वरिष्ठता सूची अनुसार श्री जयलाल भोई सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला चनौरडीह विकासखण्ड पिथौरा का सहायक शिक्षक पं./न.नि का वरिष्ठता 16.06.2006 दिया गया है।


तत्संबंध में श्री जयलाल भोई का सहायक शिक्षक पं./न.नि. के पद पर वरिष्ठता दिनांक 16.06.2006 दिया गया एवं उक्त सहायक शिक्षक का वरिष्ठता 09.10.2012 होना था, जिसे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव वरिष्ठता दिनांक 16.06.2006 दिये जाने के कारण संबंधित शिक्षक का सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर कार्यालयीन पदोन्नति आदेश क्रमांक 4659 दिनांक 14.10.2022 द्वारा पदोन्नत किया गया। उक्त पदोन्नति के संबंध में शिकायतकर्ता श्री तुलसीराम पटेल एवं श्री महेन्द्र नाग द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर में शिकायत की गई है, शिकायत की जांच संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 04 सदस्यीय जांच समिति द्वारा कराई गई, जिसमें श्री जयलाल भोई को पदोन्नति के दायरे से बाहर माना गया है, तथा अग्रिम कार्यवाही करने कार्यालयीन पत्र क्र./स्था03/विधि/प्र0पा0प्र0शा0/2025/1332 रायपुर, दिनांक 16.04.2025 के द्वारा “इस कार्यालय से की गई पदोन्नति का परीक्षण कर तथा व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पदोन्नति के परिपेक्ष्य में कोई ठोस तथ्य एवं प्रमाण प्राप्त नहीं होने पर पदावनत आदेश जारी करेंगे” संबंधी निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देश के पालन में इस कार्यालय के आदेश क्र./5029/स्था02/जांच/2025 महासमुन्द, दिनांक 10.09.2025 के द्वारा 05 सदस्यीय जांच समिति बनाकर इस प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें श्री जयलाल भोई को आपसी स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के आदेश क्र./7029/शिक्षा/स्था.1/स्थाना./2011-12/रायपुर दिनांक 21.08.2012 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना जिला महासमुन्द में होने के कारण पूर्व निर्धारित वरिष्ठता दिनांक 16.06.2006 के स्थान पर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण दिनांक 09.10.2012 होना पाया गया। जिसके कारण प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्त जांच परिणाम के आधार पर श्री जयलाल भोई को पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुये कार्यालयीन पत्र पृष्ठांकित क्र. 5030 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा लिखित सूचना देकर व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 17.09.2025 को समक्ष में बुलाया गया, तथा दिनांक 17.09.2025 को मौखिक सुनवाई उपरांत लिखित जवाब भी लिया गया। जिसमें श्री भोई के द्वारा दिये गये जवाब संतोषकारक नहीं होने के कारण श्री जयलाल भोई को प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री जयलाल भोई का सहायक शिक्षक की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची में सहायक शिक्षक एल.बी.के अंतिम वरिष्ठता क्रम से नीचे क्रम में आ जाने के कारण कार्यालयीन पदोन्नति आदेश क्रमांक 4659 दिनांक 14.10.2022 के तहत सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


26/9/25
(विजय कुमार लहरे)
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर पेंशन बाड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला चनौरडीह / विश्वासपुर, विकासखण्ड पिथौरा मे सूचनार्थ।
9. श्री जयलाल भोई को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने उपस्थिति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के पूर्व कार्यरत् शाला शा. प्राथ.शाला चनौरडीह वि.ख.पिथौरा में देना सुनिश्चित करें।

60
26/9/25
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द छ.ग.

क्रमांक./ 5508 /स्था. 02./पदावनत/2025-2026

महासमुन्द, दिनांक 26 /09/2025

//आदेश//

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार मे प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 05 मार्च 2019 की अधिसूचना अनुसार सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जिस हेतु जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से उनके विकासखण्ड में कार्यरत सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची प्राप्त कर उसे जिला स्तर पर संकलित कर जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना है।

2/ तदानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02/वरि.सूची/2022 महासमुन्द दिनांक 30.09.2022 के द्वारा सहायक शिक्षक ई एवं एल.बी. की वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समिति बनाई गई थी, तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने विकासखण्ड के संबंधित सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सूक्ष्म सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाणित एवं सत्यापित सूची सौपेगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित समिति द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची अद्यतन कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतिम सूची प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा इसके पश्चात् भी दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण कर जिला कार्यालय में सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था।

मूलभूत नियम के नियम 15(1) के अनुसार श्री चन्द्रप्रकाश नायक का सहायक शिक्षक पं. के पद पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा के नियुक्ति आदेश क्र/1374/ज.पं./शि.क.नि./नियु/2007-2008 बागबाहरा दिनांक 14.11.2007 के तहत शासकीय प्राथमिक शाला ठकुरीपाली, विकासखण्ड बागबाहरा में हुआ एवं श्री चन्द्रप्रकाश नायक ने दिनांक 16.11.2007 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री चन्द्रप्रकाश नायक का आपसी स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा के आदेश क्र./2006/शि.क./जं.पं./शि.स्था./आ.स्था./2009-10/बागबाहरा दिनांक 14.12.2009 के अनुसार शा.प्राथ.शाला ठकुरीपाली विकासखण्ड बागबाहरा से शा.प्राथ.शा.जुनाडीह, वि.ख. सरायपाली में हुआ, श्री चन्द्रप्रकाश नायक ने दिनांक 05.03.2010 को कार्यभार ग्रहण किया है।

इस संबंध में वरिष्ठता निर्धारण बाबत शासन के नियम /निर्देश निम्नानुसार है।

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./22/पंग्रावि/2023 /947 दिनांक 11.12.2013 की कंडिका 05 अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) का पद जनपद पंचायत का संवर्ग का पद है तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) की वरिष्ठता स्वैच्छिक स्थानांतरण के मामलों में नवीन विकास खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य की गई है। इन नियमों की जानकारी सभी सहायक शिक्षक (पंचायत) को पहले से ही है। इसके बाद भी उनके द्वारा अपने निधि सुविधा को ध्यान में रखकर तथा पुराने विकासखण्ड की अपनी वरिष्ठता को खोकर नवीन विकासखण्ड में स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त किया गया है। अतः ऐसे सहायक शिक्षक (पंचायत) के मामलों में नवीन विकासखण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जावेगी। तथा उस तिथि में वे क्रमानुसार कनिष्ठ होंगे के लिये निर्देश प्रसारित किये गये हैं।
2. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर संविलियन निर्देश क्रमांक 05 पत्र क्र एफ /12.03.2018 /20-दो /2018 दिनांक 06.07.2018 की कंडिका 09 अनुसार शिक्षक (पं/न.नि.) संवर्ग के व्यक्ति जो स्थानांतरण के फलस्वरूप अपने पद के लिये निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र पर स्वैच्छिक स्थानांतरण से पदांकित है। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरित निकाय में कार्यभार ग्रहण दिनांक से किये जाने के निर्देश है।

इस कार्यालय द्वारा सहायक शिक्षक से शासकीय प्राथमिक शाला पिलवापाली भ0 प्रधान पाठक में पदोन्नति हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति प्रस्ताव मंगाया गया जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना का प्रस्ताव पत्र में श्री चन्द्रप्रकाश नायक, सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरानगर भंवरपुर, विकासखण्ड बसना का सहायक शिक्षक पं./न.नि का वरिष्ठता 16.11.2007 दिया गया है। उक्त पदोन्नति के संबंध में दावा आपत्ति मंगाया गया जिसमें भी संबंधित का किसी प्रकार का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना द्वारा दावा-आपत्ति उल्लेख नहीं किया गया था।

kep

तत्संबंध में श्री चन्द्रप्रकाश नायक का सहायक शिक्षक पं./न.नि. के पद पर वरिष्ठता दिनांक 14.11.2007 दिया गया जबकि उक्त सहायक शिक्षक का वरिष्ठता 05.03.2010 होना था, जिसे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव वरिष्ठता दिनांक 16.11.2007 दिये जाने के कारण संबंधित शिक्षक का सहायक शिक्षक (एल.बी.) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत किया गया।

उक्त पदोन्नति के संबंध में शिकायतकर्ता श्री तुलसीराम पटेल एवं श्री महेन्द्र नाग द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर में शिकायत की गई है, शिकायत की जांच संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 04 सदस्यीय जांच समिति द्वारा कराई गई, जिसमें श्री चन्द्रप्रकाश नायक को पदोन्नति के दायरे से बाहर माना गया है, तथा अग्रिम कार्यवाही करने कार्यालयीन पत्र क्र./स्था03/विधि/प्र0पा0प्र0शा0/2025/1332 रायपुर, दिनांक 16.04.2025 के द्वारा "इस कार्यालय से की गई पदोन्नति का परीक्षण कर तथा व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पदोन्नति के परिपेक्ष्य में कोई ठोस तथ्य एवं प्रमाण प्राप्त नहीं होने पर पदावनत आदेश जारी करेंगे" संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देश के पालन इस कार्यालय के आदेश क्र./5029/स्था02/जांच/2025 महासमुन्द, दिनांक 10.09.2025 के द्वारा 05 सदस्यीय जांच समिति बनाकर श्री चन्द्रप्रकाश नायक के प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें श्री चन्द्रप्रकाश नायक का आपसी स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा के आदेश क्र./2006/शि.क./जं.पं./शि.स्था./आ.स्था./2009-10/बागबाहरा दिनांक 14.12.2009 के अनुसार शा.प्राथ.शाला ठकुरीपाली विकासखण्ड बागबाहरा से शा.प्राथ.शा.जुनाडीह, वि. ख. सरायपाली में हुआ, श्री चन्द्रप्रकाश नायक ने दिनांक 05.03.2010 को कार्यभार ग्रहण किया, जिसके कारण प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्त जांच परिणाम के आधार पर श्री चन्द्रप्रकाश नायक को पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुये कार्यालयीन पत्र पृष्ठांकित क्र. 5030 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा लिखित सूचना देकर व्यक्तिशः सुनवाई के लिये दिनांक 17.09.2025 को समक्ष में बुलाया गया, तथा दिनांक 17.09.2025 को मौखिक सुनवाई उपरांत लिखित जवाब भी लिया गया। जिसमें श्री चन्द्रप्रकाश नायक के द्वारा दिये गये जवाब संतोषकारक नहीं होने के कारण श्री चन्द्रप्रकाश नायक को प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री चन्द्रप्रकाश नायक का सहायक शिक्षक की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के अंतिम वरिष्ठता क्रम से नीचे क्रम में आ जाने के कारण कार्यालयीन पदोन्नति आदेश क्रमांक 4808 दिनांक 19.10.2022 के तहत सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(विजय कुमार लहरे)
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर पेंशन बाड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरानगर भंवरपुर/पिलवापाली भ, विकासखण्ड बसना को सूचनार्थ।
9. श्री चन्द्रप्रकाश नायक को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने उपस्थिति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के पूर्व कार्यरत शाला शा.प्राथ.शाला इंदिरानगर भंवरपुर, वि.ख.बसना में देना सुनिश्चित करें।

6p
26/9/25
जिला शिक्षा अधिकारी
* महासमुन्द

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द छ.ग.

क्रमांक./ 5510 /स्था. 02./पदावनत/2025-2026

महासमुन्द, दिनांक 26 /09 /2025

//आदेश//

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार मे प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 05 मार्च 2019 की अधिसूचना अनुसार सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जिस हेतु जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से उनके विकासखण्ड में कार्यरत सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची प्राप्त कर उसे जिला स्तर पर संकलित कर जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना है।

2/ तदानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 /वरि.सूची /2022/महासमुन्द दिनांक 30.09.2022 के द्वारा सहायक शिक्षक ई एवं एल.बी. की वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समिति बनाई गई थी, तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने विकासखण्ड के संबंधित सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सूक्ष्म सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाणित एवं सत्यापित सूची सौपेगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित समिति द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची अद्यतन कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतिम सूची प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा इसके पश्चात् भी दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण कर जिला कार्यालय में सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था।

मूलभूत नियम के नियम 15(1) के अनुसार श्री अभिमन्यु सिन्हा का सहायक शिक्षक पं. के पद पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सरायपाली के नियुक्ति आदेश क्र/1961/शि.क../शि.पं.वर्ग. 03/नियु/2005 सरायपाली दिनांक 08.06.2005 के तहत शासकीय प्राथमिक शाला चिवराकुटा विकासखण्ड सरायपाली में हुआ एवं श्री सिन्हा ने दिनांक 16.06.2005 को कार्यभार ग्रहण किया।

श्री अभिमन्यु सिन्हा का स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा के आदेश क्र./1324/सहा.शि.क.पं./ज.पं./स्थानांतरण./2013/बागबाहरा दिनांक 13.09.2013 के अनुसार आपसी स्थानांतरण विकासखण्ड पिथौरा के शास.प्राथमिक शाला डोंगाझर में हुआ, श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 23.09.2013 को शा.प्राथ शाला डोंगाझर में कार्यभार ग्रहण किया है।

इस संबंध में वरिष्ठता निर्धारण बाबत् शासन के नियम /निर्देश निम्नानुसार है।

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./22/पंचाविवि/2023 /947 दिनांक 11.12.2013 की कंडिका 05 अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) का पद जनपद पंचायत का संवर्ग का पद है तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) की वरिष्ठता स्वैच्छिक स्थानांतरण के मामलों में नवीन विकास खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य की गई है। इन नियमों की जानकारी सभी सहायक शिक्षक (पंचायत) को पहले से ही है। इसके बाद भी उनके द्वारा अपने निधि सुविधा को ध्यान में रखकर तथा पुराने विकासखण्ड की अपनी वरिष्ठता को खोकर नवीन विकासखण्ड में स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त किया गया है। अतः ऐसे सहायक शिक्षक (पंचायत) के मामलों में नवीन विकासखण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जावेगी। तथा उस तिथि में वे क्रमानुसार कनिष्ठ होंगे के लिये निर्देश प्रसारित किये गये हैं।
2. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर संविलियन निर्देश क्रमांक 05 पत्र क्र एफ /12.03.2018 /20-दो /2018 दिनांक 06.07.2018 की कंडिका 09 अनुसार शिक्षक (पं/न.नि.) संवर्ग के व्यक्ति जो स्थानांतरण के फलस्वरूप अपने पद के लिये निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र पर स्वैच्छिक स्थानांतरण से पदांकित है। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरित निकाय में कार्यभार ग्रहण दिनांक से किये जाने के निर्देश है।

49

इस कार्यालय द्वारा सहायक शिक्षक से शासकीय प्राथमिक शाला नवाडीह प्रधान पाठक में पदोन्नति हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति प्रस्ताव मंगाया गया जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार श्री अभिमन्यु सिन्हा, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला डोंगाझर, विकासखण्ड पिथौरा का सहायक शिक्षक पं./न.नि का वरिष्ठता 16.06.2005 दिया गया है। उक्त पदोन्नति के संबंध में दावा आपत्ति मंगाया गया जिसमें भी संबंधित का किसी प्रकार का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा द्वारा दावा-आपत्ति उल्लेख नहीं किया गया था।

तत्संबंध में श्री अभिमन्यु सिन्हा का सहायक शिक्षक पं./न.नि. के पद पर वरिष्ठता दिनांक 16.06.2005 दिया गया जबकि उक्त सहायक शिक्षक का वरिष्ठता 23.09.2013 होना था, जिसे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव वरिष्ठता दिनांक 16.06.2005 दिये जाने के कारण संबंधित का सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत किया गया।


उक्त पदोन्नति के संबंध में शिकायतकर्ता श्री तुलसीराम पटेल एवं श्री महेन्द्र नाग द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर में शिकायत की गई है, शिकायत की जांच संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 04 सदस्यीय जांच समिति द्वारा कराई गई, जिसमें श्री अभिमन्यु सिन्हा को पदोन्नति के दायरे से बाहर माना गया है, तथा अग्रिम कार्यवाही करने कार्यालयीन पत्र क्र./स्था03/विधि/प्र0पा0प्रा0शा0 /2025/1332 रायपुर, दिनांक 16.04.2025 के द्वारा "इस कार्यालय से की गई पदोन्नति का परीक्षण कर तथा व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पदोन्नति के परिपेक्ष्य में कोई ठोस तथ्य एवं प्रमाण प्राप्त नहीं होने पर पदावनत आदेश जारी करेंगे" संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देश के पालन इस कार्यालय के आदेश क्र./5029/स्था02/जांच/2025 महासमुन्द, दिनांक 10.09.2025 के द्वारा 05 सदस्यीय जांच समिति बनाकर श्री अभिमन्यु सिन्हा के प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें श्री अभिमन्यु सिन्हा का स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा के आदेश क्र./1324/सहा.शि.क.पं./ज.पं./स्थानांतरण./2013/बागबाहरा दिनांक 13.09.2013 के अनुसार आपसी स्थानांतरण विकासखण्ड पिथौरा के शास.प्राथमिक शाला डोंगाझर में हुआ, श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 23.09.2013 को शा.प्राथ शाला डोंगाझर में कार्यभार ग्रहण किया, जिसके कारण प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्त जांच परिणाम के आधार पर श्री अभिमन्यु सिन्हा को पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुये कार्यालयीन पत्र पृष्ठांकित क्र. 5030 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा लिखित सूचना देकर व्यक्तिशः सुनवाई के लिये दिनांक 17.09.2025 को समक्ष में बुलाया गया, तथा दिनांक 17.09.2025 को मौखिक सुनवाई उपरांत लिखित जवाब भी लिया गया। जिसमें श्री अभिमन्यु सिन्हा के द्वारा दिये गये जवाब संतोषकारक नहीं होने के कारण श्री अभिमन्यु सिन्हा को प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री अभिमन्यु सिन्हा का सहायक शिक्षक की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के अंतिम वरिष्ठता क्रम से नीचे क्रम में आ जाने के कारण कार्यालयीन पदोन्नति आदेश क्रमांक 4659 दिनांक 14.10.2022 के तहत सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये प्रधानपाठक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक के पद पर पदावनत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(विजय कुमार लहरे)
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर पेंशन बाड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला नवाडीह(लिलेसर)/जगदल्ला, विकासखण्ड पिथौरा को सूचनार्थ।
9. श्री अभिमन्यु सिन्हा को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के पूर्व कार्यरत शाला शा. प्राथ.शाला जगदल्ला वि.ख. पिथौरा में देना सुनिश्चित करें।

hap
26/9/25
जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द